न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 39/2017 नामान्तरकरण अपील

1. विनोद पुत्र छोगालाल
2. रोशन पुत्र छोगालाल
3. बसन्ती पत्नि छोगालाल
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सीमा देवी पत्नि स्व. प्रमोद जाति मीना निवासी डूंगरपुर तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा
2. तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अ.धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 08.11.2017 जो नामान्तरकरण संख्या 617 ग्राम डूंगरपुर पर पारित किया गया है।

उपस्थिति :– 1. श्री अतुल कुमार नागर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
2. श्री कैलाश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 01 उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांक: 24 .08.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रमोद पुत्र छोगालाल जाति मीना निवासी डूंगरपुर का देहान्त हो गया। अपीलान्ट नं. 01 व 02 उसके सगे भाई है एवं अपीलान्ट नं. 03 प्रमोद की सगी मॉ है। किन्तु तहसीलदार रामगढ पचवारा ने सरासर अवैध रूप से स्व. प्रमोद की पत्नि सीमा के नाम नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। जबकी मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार लागू नही होता। कस्टमरी परम्परा के अनुसार विरासत होती है। क्योकि मीना जाति में महिलाऐं अपने पति के जीवित रहते हुए भी स्वेच्छापूर्वक उसे तलाक देकर पुर्नविवाह (नाता) कर लेती है। इसलिए पति के देहान्त हो जाने पर पत्नि को विरासत के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नही होते। किन्तु तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में सरासर विधि विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 617 दिनांक 08.11.2017 को स्वीकार किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया की मीना जाति पर हिन्दू उत्तराधिकारी नियम लागू नही होता है। कस्टमरी परम्परा के अनुसार विरासत होती है। जिसके अनुसार मीना जाति में पति के देहान्त हो जाने पर पत्नि को विरासत के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त नही होते। विरासत

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का नामान्तरकरण करने का अधिकार तहसीलदार के बजाय ग्राम पंचायत को होता है। यदि ग्राम पंचायत पटवारी द्वारा नामान्तरकरण पेश करने के पश्चात 40 दिन तक निर्णय न करे तत्पश्चात ही तहसीलदार को नामान्तरकरण करने का विचाराधिकार प्रदान किया गया है। किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष पेश ही नही किया गया। दिनांक 08.11.2017 को ही पटवारी द्वारा रिपोर्ट के नीचे हस्ताक्षर किये गये है और तहसीलदार ने ही दिनांक 08.11.2017 को नामान्तरकरण स्वीकार कर लिया। तहसीलदार ने विरासत के सम्बन्ध में और कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जांच नही की। नियमो के अनुसार उत्तराधिकारीयो की जांच हेतु सजरा बनाना आवश्यक होता है। सम्बन्धित उत्तराधिकारियों एवं अन्य आपत्ति कर्ताओं को नोटिस देना कानूनन आवश्यक है। बल्कि सावर्जनिक इश्तेहार भी जारी करने का प्रावधान है। ताकि प्रभावित व्यक्ति अपनी आपत्ति पेश कर सके। किन्तु तहसीलदार द्वारा नियमों की अन्देखी कि गई है। ग्राम डूंगरपुर में स्थित कृषि भूमि ख.न. 140, 142, 145 व 266/143 में अपीलान्ट व स्व. प्रमोद का व अन्य परिजनो की संयुक्त खातेदारी जमाबन्दी में अंकित है। संयुक्त खातेदारी भूमि पर सभी सहभागीयों का संयुक्त रूप से कब्जा माना जाता है। इसलिए रेस्पोडेन्ट का वास्तव में कोई कब्जा नही है। मीना जाति की परम्परा के अनुसार मृतक प्रमोद का उत्तराधिकार उसके सगे भाई विनोद व रोशन को प्राप्त होता हे। इसलिए प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त कर स्व. प्रमोद के हिस्से का नामान्तरकरण अपीलान्ट नं. 01 व 02 के पक्ष में स्वीकार करने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये–

14. 2005 (1) RRT Page 115
15. 2005 (1) RRT Page 665
16. 2011-12 (Supp.) RRT Page 657
17. 2009 (2) RRT Page 1225
18. 2003 (1) RRT Page 596
19. 1957 RRD Page 238
20. 1982 RRD Page 332
21. 1982 RRD Page 333
22. 1988 RRD Page 61
23. 1966 RRD Page 71
24. 1981 RRD Page 361
25. 2011-12 (Supp.) RRT Page 66
26. 2011-12 (Supp.) RRT Page 2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया की अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा एक ओर यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि मीना जाति में हिन्दू उत्तराधिकारी नियम लागू नही होता है। कस्टमरी परम्परा के अनुसार विरासत होती है। जिसके तहत पत्नि को विरासत द्वारा कोई अधिकार नही होना व्यक्त किया गया है। दूसरी ओर इसी नामान्तरकरण से सम्बन्धित इसी न्यायालय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण सुमन बनाम सीमा देवी में प्रस्तुत अपील में यह अंकित किया है कि कस्टमरी कानून के तहत पत्नि एवं पुत्री बहिन आदि सभी को उनके हिस्से की भूमि दी जाती है। विरोधाभासी तथ्य यह है कि प्रकरण में मृतक प्रमोद की पत्नि के नाम नामान्तरकरण खोले जाने पर प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा यह तथ्य भी प्रस्तुत किया गया है कि मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री सुमन को उत्तराधिकारी नही बनाये जाने पर ग्राम पंचायत डूंगरपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 285 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में अपील

अति० जिला कलक्टर
डीसा

पेश की गई है जो विचाराधीन है। मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र प्रमोद कानूनन उत्तराधिकारी है एवं प्रमोद की मृत्यु के उपरान्त उसकी पत्नि सीमा देवी उसकी उत्तराधिकारी इस प्रकार विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने में किसी प्रकार की त्रृटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा येनकेन प्रकारेन अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण से सम्बन्धित मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान का विधिसम्मत सजरा तैयार नही होने के कारण से पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न हुए हैं। जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षकारान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में अपील विचाराधीन होना भी स्वीकार किया है। मूल नामान्तरकरण सं. 617 का अवलोकन करने पर स्वीकृत दिनांक भी स्पष्ट रूप से अंकित नही की गई है। इसके अतिरिक्त मृतक खातेदार के विधिक वारिसान का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है। अतः प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 617 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार नियम एवं कस्टमरी कानून के परिपेक्ष में प्रकरण का परीक्षण कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा मृतक छोगालाल के वारिसान का विधिसम्मत सजरा तैयार करवाया जाकर, उभयपक्षकारान द्वारा कथित मूल खातेदार छोगालाल की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत डूंगरपुर द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 285 की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा में विचाराधीन अपील के सम्बन्ध में जानकारी कर तद्नुसार विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा